न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 273/2022

प्रार्थीगण :–

1. जोगाराम पुत्र हरजीराम
2. उतमाराम पुत्र हरजीराम
3. जमनादेवी पत्नी हरजीराम
4. आदूराम पुत्र हरजीराम
5. भेराराम पुत्र हरजीराम सभी जातियान राईका निवासी मेवानगर तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. भीखा पुत्र उस्मान जाति मोयला
2. ईस्माल खां आरब खां मोयला
3. हनीफ खां पुत्र ईस्लाइल खां मोयला
4. हनीफखां उर्फ हमीरखां पुत्र ईस्माइल खां मोयला मुसलमान निवासी मंडावास
5. पदमाराम पुत्र दुर्गाराम जाति देवासी नि0 मेवानगर
6. सुखीदेवी पत्नी मुकनाराम जाति राईका नि0 मंडावास
7. छैलकंवर पत्नी देवीसिंह जाति राजपूत नि0 मेवानगर
8. मोहनीदेवी पत्नी गोविन्दराम जाति पालीवाल निवासी जसोल
9. अशोक पुत्र मदनलाल जाति सोनी नि. जसोल तिलवाडा फांटा
10. इन्द्रसिंह पुत्र रूगनाथसिंह जाति राजपुरोहित नि0 मंडावास
11. तारसिंह पुत्र रूगनाथसिंह जाति राजपुरोहित नि0 मंडावास तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा,जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान रा0भू रा0 अधि0
बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :–

1. श्री पूनमाराम चौधरी प्रार्थीगण अधिवक्ता
2. विप्रार्थीगण :– एक पक्षीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2022.12.21 18:08:01 IST
Reason: SelfAttested

'आदेश दि[illegible]11.2022

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की [illegible] का खेत सरहद मौजा मंडावास पटवार मेवानगर भू. अभि. नि तिलवाडा तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 26/11 रकबा 5.9893 हैक्टेयर, खसरा संख्या 28/11 रकबा 7.0011 हैक्टेयर खसरा संख्या 36/11 रकबा 5.6656 हैक्टेयर खसरा संख्या 52/11 रकबा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

0.3480 हैक्टेयर खसरा संख्या 53/11 रकबा 01.0926 हैक्टेयर कुल रकबा 20. 0996 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है।

जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा कश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारन मे तनजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम मौजा मंडावास पटवार मेवानगर भू. अभि. नि तिलवाडा तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 26/11 रकबा 5.9893 हैक्टेयर, खसरा संख्या 28/11 रकबा 7.0011 हैक्टेयर खसरा संख्या 36/11 रकबा 5.6656 हैक्टेयर खसरा संख्या 52/11 रकबा 0.3480 हैक्टेयर खसरा संख्या 53/11 रकबा 01.0926 हैक्टेयर कुल रकबा 20. 0996 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है ।

प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया । विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया । विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नही होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गया। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि ग्राम मौजा मंडावास पटवार मेवानगर भू. अभि. नि तिलवाडा तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 26/11 रकबा 5.9893 हैक्टेयर, खसरा संख्या 28/11 रकबा 7.0011 हैक्टेयर खसरा संख्या 36/11 रकबा 5.6656 हैक्टेयर खसरा संख्या 52/11 रकबा 0.3480 हैक्टेयर खसरा संख्या 53/11 रकबा 01.0926 हैक्टेयर कुल रकबा 20.0996 हैक्टेयर [illegible] भूमि आई हुई है । जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2022.12.21 18:08:01 IST
Reason: SelfAttested

की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है, और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है , और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है, इस कारण प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा मंडावास पटवार मेवानगर भू. अभि. नि तिलवाडा तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 26/11 रकबा 5.9893 हैक्टेया, खसरा संख्या 28/11 रकबा 7.0011 हैक्टेयर खसरा संख्या 36/11 रकबा 5.6656 हैक्टेयर खसरा संख्या 52/11 रकबा 0.3480 हैक्टेयर खसरा संख्या 53/11 रकबा 01.0926 हैक्टेयर कुल रकबा 20.0996 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे ।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॅार्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया । जिसमे पाया कि मौजा मंडावास पटवार मेवानगर भू. अभि. नि तिलवाडा तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 26/11 रकबा 5.9893 हैक्टेया, खसरा संख्या 28/11 रकबा 7.0011 हैक्टेयर खसरा संख्या 36/11 रकबा 5.6656 हैक्टेयर खसरा संख्या 52/11 रकबा 0.3480 हैक्टेयर खसरा संख्या 53/11 रकबा 01.0926 हैक्टेयर कुल रकबा 20. 0996 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड सहखातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिस[illegible] हकदार भी है । विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटि[illegible] है इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की [illegible]की ओर से मौन स्वीकृति है । यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय मे उपस्थित होकर उजर

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

[signature]

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2022.12.21 18:08:01 IST
Reason: SelfAttested

एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया । ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है ।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा मंडावास पटवार मेवानगर भू. अभि. नि तिलवाडा तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 26/11 रकबा 5.9893 हैक्टेयर, खसरा संख्या 28/11 रकबा 7.0011 हैक्टेयर खसरा संख्या 36/11 रकबा 5.6656 हैक्टेयर खसरा संख्या 52/11 रकबा 0.3480 हैक्टेयर खसरा संख्या 53/11 रकबा 01.0926 हैक्टेयर कुल रकबा 20.0996 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबदी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को कमिश्नर नियुक्त किया जता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे । कमिश्नर फीस 500/- प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगे । आवश्यकता होने पर पुलिस ईमदाद प्राप्त कर सकते है पालना रिपोर्ट होने पर शामिल मिसल हो ।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आज दिनांक 21.11.2022 को आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2022.12.21 18:08:01 IST
Reason: SelfAttested